मुकदमा ..... T.I. ..... मु. नं० ..... 184 ..... वर्ष ..... 2013 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7/6/13	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 12/7/13 को पेश हो।	
12/7/13	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/8/13 को पेश हो।	
25/8/13	पत्रावली पेश / अधि. उभयपक्ष हाजिर। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवादित भूमि के हिस्से निर्धारित होने जिनका निर्णय मूल वाद में नक्शे व नक्शे के आधार पर किया जाना है। दौरान वाद विवादित भूमि के मौके के रिकार्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर पक्षों के हित प्रभावित हो सकते है अतः अन्तर्वर्ती वाद विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तर्वर्ती वाद के जरिये आदेश निषेधाज्ञा लगाकर किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 2821 रकबा 4.62 हैक्टेयर, ख.नं. 2823 रकबा 3.80 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 8.42 हैक्टेयर के तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नेश्वर से कमहो, वादी दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से लिखाया गया।